कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf ajmer forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18(59)एफसीए / उवसं / 2023–24 / 6291 दिनांक :– 25/07/23

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. मे प्रस्तावित स्थल के मौका निरीक्षण बाबत्।

संदर्भः– अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर पृष्ठांकित पत्रांक 6003–04 दिनांक 16.05.2023 एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित प्रकरण दिनांक 06.07.2023 के क्रम मे।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा उच्च कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेपो की विन्दुवार पूर्ति निम्नानुसार संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

क्र. स.	उच्च कार्यालय द्वारा आक्षेप	आक्षेप पूर्ति मय जवाब
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नही है।	क्षर्ति पूर्ति वृक्षारोपण योजना गैर वन भूमि हेतु निर्धारित मॉडन अनुसार तैयार कर संलग्न प्रेषित है।
2	यूजर ऐजेन्सी के पत्रानुसार प्रस्तावित प्रकरण वर्तमान 7 मीटर रोड़ में रिन्यूबल एवं ओवर ले का कार्य किया जाना है। प्रस्ताव में वर्तमान रोड़ की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्मिलित है अथवा नही स्पष्ट नही है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
3	मुख्य वन संरक्षक की अनुशंषा के आधार पर वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सड़क के दोनो ओर दीवार निमार्ण किया प्रस्तावित है इस हेतु यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न नही है। 6 फीट ऊंची दीवार से वन्यजीवो के आवागमन बाधित होता है इस हेतु 6 फीट उॅची दीवार लिये जाने के आधार स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दीवार निमार्ण के संबंध में वचनबद्धता ऑनलाईन संलग्न कर दी गई है। वन्यजीवो को सड़क दुर्घटना से बचाने हेतु 6 फीट की दीवार का निमार्ण किया जाना आवश्यक है।
4	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की के0एम0एल0 फाईल में पुराने वृक्षारोपण की दीवार नजर आती है जबकि उक्त भूमि वन क्षेत्र से दूर है।	प्रस्तावित गैर वन भूमि के अतिरिक्त निकट में वन क्षेत्र की ओर अन्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग को हुआ है जो कि वनखण्ड की सीमा से लगते हुए है। इस कारण प्रकरण की भूमि वन क्षेत्र से दूर दिखाई दे रही है।
5	एन.पी.वी. गणना रिपोर्ट संलग्न नही है।	एन.पी.वी. गणना रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
6	प्रस्ताव के पार्ट 1 मेंतीन प्रकरण दर्शाये गये है जिनमे दो प्रकरण विदड्रा किये जा चुके एवं 1 प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अघतन स्थिति अंकित करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 का एलायमेंट सड़क के किनारे पर बनी दीवार निमार्ण कार्य पर आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या दीवार को तोड़ा जाना प्रस्तावित है अथवा नही। यदि तोड़ा जाना है तो उप वन संरक्षक द्वारा नुकसान की राशि अधिरोपित करे। यदि नही तो उप वन संरक्षक द्वारा	एक ओर उपलब्ध दीवार जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से दोनो ओर नवीन दीवार वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव की गई है।

	दीवार निमार्ण दोनो ओर क्यो प्रस्तावित की गयी है जबकि एक ओर दीवार उपलब्ध है।	
8	प्रस्तावित वन भूमि एवं डिजीटल सीमाओ में अंतर है। प्रस्ताव को राजस्व मेप पर अंकित किया जाकर वन भूमि की जमाबंदी संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
9	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन संलग्न की गई है।
10	प्रस्ताव की 2 हार्ड प्रति प्राप्त नही है।	इस कार्यालय द्वारा तीन प्रति संलग्न कर पूर्व मे श्रीमान् को प्रेषित की गई है।

रिपोर्ट श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांकः–एफ18(59)एफसीए/उवसं/2023–24/ दिनांक :–

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
अजमेर